दिनांक 23.12.2014 को सांय 02:00 बजे बैठक हाल, जिला विकास भवन, रोहतक में श्रीमती रेणु डाबला, मेयर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम की सामान्य बैठक में लिये गये निर्णय:-

1. श्रीमति रेणु डाबला, मेयर, नगर निगम, रोहतक।
2. श्री राजबीर, सदस्य वार्ड नं0-1, नगर निगम, रोहतक।
3. श्रीमती ममता रानी, सदस्य वार्ड नं0-2, नगर निगम, रोहतक।
4. श्रीमती सुशीला इंदौरा, सदस्य वार्ड नं0-3, नगर निगम, रोहतक।
5. श्री सूरजमल रोज, सदस्य वार्ड नं0 5, नगर निगम, रोहतक।
6. श्रीमती मंजू, सदस्य वार्ड नं0-6 एवं वरिष्ठ उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
7. श्रीमती सरिता, सदस्य वार्ड नं0-7, नगर निगम, रोहतक।
8. श्रीमती उपासना देवी, सदस्य वार्ड नं0-8, नगर निगम, रोहतक।
9. श्री बलराज सिंह, सदस्य वार्ड नं0-9, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-10, नगर निगम, रोहतक।
11. श्रीमती अनिता मिगलानी, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
12. श्री गुलशन ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
13. श्री संजय, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
14. श्रीमती नीरा, सदस्य वार्ड नं0-14, नगर निगम, रोहतक।
15. श्री अजय जैन सदस्य वार्ड नं0 15, नगर निगम, रोहतक।
16. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-16 एवं उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
17. श्री जयकिशन, सदस्य वार्ड नं0-17, नगर निगम, रोहतक।
18. श्री अनिल, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
19. श्रीमती लक्ष्मी, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम दिनांक 14.11.2014 को हुई बैठक की कार्रवाई व उस पर सम्बन्धित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। सभी सदस्यों द्वारा इसकी पुष्टि करते हुये निम्नलिखित मदों को पुनः आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या	एजेंडा	निर्णय
4	सैक्टर 36-ए में दी हरियाणा को.प्रो.हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि. अपनी भूमि जिसका खसरा न. 7348 (0-8) 7357 (3-17) व 7371 (3-10) कुल रकबा 7 बिघे 15 बिसवे= 4.843 एकड़ भूमि की टी.पी. स्कीम स्वीकृत करवाना चाहते है। इनके प्रार्थना पत्र पर केस की जांच पड़ताल की गई तथा L.A.O. Urban Estate, Rohtak, DT.P. Rohtak की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत इन्तकाल व सजरा अनुसार यह भूमि अधिग्रहण से छूटी हुई है तथा विकास प्लान रोहतक 2021 के अनुसार Residential Zone में पडती है तथा मौके पर खाली है। हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 267 (1) के अनुसार टी.पी. स्कीम पर	सैक्टर 36ए में हरियाणा को-आप्रेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाईटी लि0 द्वारा कुल रकबा 7 बीघे 15 बिसवे = कुल 4.843 एकड़ जमीन है को टी0पी0 स्कीम के अर्न्तगत अनिर्मित क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव को सदन द्वारा अस्वीकृत किया गया।

	विचार से पूर्व प्रस्तावित भूमि को Unbuilt Area घोषित करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अन्तर्गत इस केस को नियमानुसार पाया गया। अतः इस पर विचार उपरान्त यदि अनुमति हो तो सरकार को केस हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 267 (1) के तहत Unbuilt Area घोषित करने के लिए सरकार के विचार के लिए अपनी सहमति सहित भेजने का प्रस्ताव सदन में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।	
10	एजेंडा में वर्णित सभी बिन्दूओं पर चर्चा उपरांत अध्यक्ष महोद्या की अनुमति से निम्नलिखित मदो को प्रस्तुत किया गया:- (II) पार्षदों को टोल प्लाजा में छूट देने बारे।	(II) इस विषय में मेयर महोद्या द्वारा अपने स्तर पर हरियाणा सरकार से एक सप्ताह के अन्दर-2 विचार विमर्श उपरांत निर्णय करवाया जायेगा।
	(III) पार्षद वार्ड नं0 14 ने सदन को अवगत करवाया कि मेयर नगर निगम ने केवल अपने वार्ड में वाटर कूलर लगवाने बारे कार्रवाई की है। जनहितमें सभी वार्डो में सार्वजनिक स्थलो पर वाटर कूलर लगाए जाएं।	(III) इस बारे बताया गया है कि अभी तक 6 वाटर कूलर स्थापित किये जा चुके है। बाकी कूलरों को सम्बन्धित पार्षदों द्वारा स्थान चिन्हित उपरांत कार्यकारी अभियंता-। व कार्यकारी अभियंता-।। द्वारा दिनांक 10.01.2015 तक लगाये जायेगें।
	(XIII) पार्षदों को हरियाणा सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समकक्ष मेडिकल सुविधा देने बारे।	(XIII) इस विषय में मेयर महोद्या द्वारा अपने स्तर पर हरियाणा सरकार से एक सप्ताह के अन्दर-2 विचार विमर्श उपरांत निर्णय करवाया जायेगा।
	(XIV) नगर निगम द्वारा पार्को में पूर्व में लगाये झूलों की गुणवत्ता जांच एवं नये झूले लगाये जाने बारे।	(XIV) पार्को में झूलों की गुणवत्ता एवं सप्लायर के भुगतान बारे विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि झूलों की गुणवत्ता बारे निर्णय एवं भुगतान दिनांक 30.12.2014 तक सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यो का भुगतान भी गुणवत्ता स्वीकृति उपरांत 5 दिन के अन्दर-2 करने के निर्देश दिये गये।
	(XV) वर्कस कमेटी नगर निगम की राशी से अन्य विभागों द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच हेतू।	(XV) अधीक्षक अभियंता द्वारा बताया गया कि अभी तक डिपोजिट वर्कस के केवल तीन कार्यो का फण्ड उपियोगिता विवरण प्राप्त हुआ है। सभी डिपोजिट वर्कस की सूची कार्यकारी अभियंता द्वारा सभी पार्षदों को दिनांक 24.12.2014 तक उपलब्ध करवाई जायेगी। विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि जिन कार्यो पर लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) द्वारा कार्य प्रारंभ नही किया गया है। उस कार्य के लिए दी गई राशि वापिस ली जाये। कच्चा बेरी रोड़, झज्जर रोड़, सैनिक कालोनी जिसका कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) द्वारा किया गया था। इसकी गुणवत्ता बारे शिकायत प्राप्त हुई है। जिसे किसी तृतीय पक्ष द्वारा जॉच करवाने का निर्णय लिया गया। कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) ने बताया कि जगदीश कालोनी रोड़ पर लोहे की जालिया दोबारा दिनांक 30.12.2014 तक लगवाई जायेगी।

	वार्ड नं0-8 :- (श्रीमति उपासना, पार्षद) (1) राजीव आवास योजना के तहत खेडी साध, पहरावर, बलियाणा गांव के कुछ पात्रों लाभ न मिलने बारे। (2) रिंग बांध की रिपेयर एंव स्ट्रीट लाईट लगवाने बारे।	(1) राजीव आवास योजना के तहत वार्ड नं0 8 व वार्ड नं0 20 के लम्बित कार्यो का निवारण कार्यकारी अभियंता-। व कार्यकारी अभियंता-।। द्वारा 7 दिन के अन्दर-2 सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। श्री जगदीशचन्द्र, निगम अभियंता एक जनवरी से सात जनवरी तक कार्यकारी अभियंता-। के साथ बलियाणा के लाभ पात्रों का चयन करेगे। (2) रिंग बांध की रिपेयर एंव स्ट्रीट लाईट लगवाने बारे कार्यकारी अभियंता-। को इस कार्य को मूलरूप देने की संभावना बारे रिपोर्ट दिनांक 05.01.2015 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
	वार्ड नं0-10 :- (श्री अशोक, पार्षद) (I.) बारातघर माडल टाउन से अवैध कब्जा हटवाने बारे।	इस सन्दर्भ में भू-अधिकारी ने बताया कि मॉडल टाऊन बारात घर में नोटिस चस्पा कर दिया गया था जिसके संदर्भ में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। इस सन्दर्भ में समाचार पत्रों में बारातघर की मलकियत बारे अंतिम नोटिस प्रकाशन का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान श्री अजय जैन पार्षद ने बताया कि पुराने बस अड्डे के पास श्रीराम ट्रस्ट के नाम से बहुमूल्य सम्पत्ति उपलब्ध है जिसकी मलकियत उपायुक्त, नगर निगम के नाम है तथा इसकी आय ट्रस्ट समिति द्वारा ली जा रही है। इस सम्पत्ति को नगर निगम के अधीन लिया जाये। इस कार्य के लिए श्री अजय जैन, श्री सूरजमल श्री बलराज, श्रीमति ममता रानी पार्षद, भू-अधिकारी व राजस्व विभाग का एक प्रतिनिधि की समिति का गठन किया गया जो इस संदर्भ में दिनांक 10.01.2015 तक अपनी रिपोर्ट आयुक्त, रोहतक को प्रस्तुत करेगी।
	वार्ड नं0-20 :- (श्रीमति लक्ष्मी,पार्षद) (I.) वार्ड में स्टेडियम बनाने बारे।	वार्ड नं0 20 में जोहड़ के स्थान पर स्टेडियम बनवाने बारे जनस्वास्थ्य विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग से विचार-विमर्श उपरांत विस्तृत रिपोर्ट कार्यकारी अभियंता-।। द्वारा दिनांक 30.12.2014 तक दी जायेगी।

दिनांक 09.06.2014 को हुई बैठक की कार्यावाही पर की गई कार्रवाई की पुष्टि उपरांत बैठक में निम्नलिखित मुख्य एजेंडो तथा अतिरिक्त एजेंडो पर विचार विमर्श किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

मद सं0	एजेंडा	निर्णय
7	नगर निगम के अन्दर आने वाले निगम पार्षद के कार्यकाल में जनहित के कार्यो के दौरान अगर कोई अप्रिय दुर्घटना घटती है तो उसका खर्च नगर निगम रोहतक द्वारा वहन किया जाए।	इस विषय में मेयर महोद्या द्वारा हरियाणा सरकार स्तर पर 7 दिन के अन्दर--2 निर्धारित करवाया जायेगा।
24	हरियाणा म्यूनिसिपल बिल्डिंग बाई लॉज 1982 के सब-बाई लॉज 13(1) के अनुसार "Type and character of building including ancillary buildings that may be erected or re-erected on a site and the purpose for which these may be used shall not be other than shown in the area plan or the approved layout plan and where the site does not for a part of such an area plan or layout, the use	इस बारे दिनांक 02.01.2015 को बैठक कर अंतिम निर्णय लेने के निर्देश दिये गये।

	shall be in conformity with the use of the surrounding area and the decision of the committee shall be final in this respect" को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक भवन प्लान स्वीकृत किया जा सकता है। अतः TP Scheme के Rehabilitation Colony, Labour Colony व Palika Colony, Improvement Trust की स्कीम को छोडकर शेष में Surrounding Area की वाणिज्यिक रिर्पोट के आधार पर वाणिज्यिक भवन प्लान पारित करने का प्रस्ताव सदन में विचारार्थ एवम् स्वीकृती हेतू प्रस्तुत है।	
25	नगर निगम रोहतक क्षेत्र में सभी कालोनियों में मकान नम्बर की प्लेट जिस पर कालोनी का नाम, मकान नम्बर व गली नम्बर अंकित होगा, लगाई जानी है। इसके लिए नगर निगम द्वारा उनके सैम्पल में से जिस प्रकार की प्लेट लगाई जानी है- उसका सैम्पल निर्धारित करना है ताकि उसके अनुसार निविदा आमन्त्रित की जा सके। इसके अतिरिक्त सदन के सदस्यों में से एक कमेटी गठित की जाए जो अपनी उपस्थिति में निविदाएं मंगवाए, उन्हे खोले तथा उनकी स्वीकृती के उपरान्त ही कार्य करवाए जाए। प्रस्ताव सदन में विचारार्थ एवम् स्वीकृती हेतू प्रस्तुत है।	सभी कालोनियों के मकान में नम्बर प्लेट लगाने के लिए प्लेट का साईट 3"x6" अंतिम रूप दिया गया है। इसकी अंतिम स्वीकृति सैम्पल सहित सभी पार्षदों के अवलोकन करवाने उपरांत अधीक्षक अभियंता द्वारा ली जायेगी।
26	**<u>नगर निगम सीमा में गऊशाला स्थापित करने बारे।</u>** विषयाधीन मामले में नगर निगम द्वारा अपने प्रस्ताव क्रमांक 5 दिनांक 11.11.2013 के अनुसार निर्णय लिया था कि आवारा पशुओं हेतु नगर निगम सीमा में एक गऊशाला स्थापित की जाये। इस कार्य हेतु मेयर नगर निगम की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने बारे निर्णय लिया गया था। इस बारे निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये गये:- 1. श्रीमति रेणु डाबला, मेयर, नगर निगम, रोहतक। (अध्यक्ष) 2. श्रीमति मंजू हुड्डा, वरिष्ठ उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक। (सदस्य) 3. श्री अशोक भाठी,उप मेयर, नगर निगम रोहतक। (सदस्य) 4. श्री राजबीर सैनी, पार्षद वार्ड न0.1, नगर निगम रोहतक। (सदस्य) तदउपरान्त नगर निगम द्वारा अपने प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 09.06.2014 में वार्ड नं0 4 के पार्षद एवं मेयर द्वारा उठाए गए बिन्दु (II) में इस प्रस्ताव पर विचार करने उपरान्त निर्णय लिया गया कि पूर्व में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर नियमानुसार गऊशाला बनाने हेतु नगर निगम के अधीक्षक अभियन्ता प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे। प्रस्ताव नं0 5 दिनांक 11.11.2013 अनुसार गठित उक्त कमेटी ने विचार विमर्श उपरान्त पाया कि गांव कन्हेली के खसरा नं0 37//6-7-14-15-16-17 में पड़ने वाली 6 एकड़ पंचायती भूमि गऊशाला के निर्माण हेतु उचित है। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि नगर निगम के नाम दर्ज है। इसके साथ डेयरी कॉम्पलैक्स बना हुआ है। गऊशाला बनाने के लिए जिला नगर योजनाकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया था। उन्होने दिनांक 08.08.2014 को गऊशाला बनाने की अनुमति नहीं दी है। जिला नगर योजनाकार को दोबारा दिनांक 21.08.2014 को लिखा गया कि जिस जगह पर गऊशाला बनाई जानी है। वह जगह डेयरी कॉम्पलैक्स के साथ लगती है जो R-ZONE का पार्ट है। सरकार द्वारा उसे डेयरी कॉम्पलैक्स बनाया गया है। अतः इस	गऊशाला स्थापित करने के लिए वित्त प्रबंधन की आवश्यकता है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट कार्यकारी अभियंता-।। द्वारा दिनांक 30.12.2014 तक दी जायेगी। तब तक शहर में घूम रही गायों व पशुओं को पकड़ने का प्रबंध नगर निगम द्वारा किया जायेगा तथा श्री सूरजमल पार्षद व श्री राजबीर सैनी पार्षद द्वारा उनको गऊशाला में छुड़वाने में सहयोग किया जायेगा।

	क्षेत्र को Agriculture Plan के लिए छोड़ा जाये ताकि 2031 के Master Plan के Final Publication से पूर्व बदला जा सके। अतः गांव कन्हेली में गऊशाला बनाने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सदन की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है।	
अतिरिक्त एजेण्डे:-		
4	**चौधरी मातूराम कम्युनिटी सैन्टर, रोहतक में पडी पुरानी बिल्डिंग को मुरम्मत करके उसमें 1947 के वीर शहीदो को की याद में शहीदी धर्मशाला व शहीद मदन लाल धींगडा का स्मृति स्थल बनाने हेतू।** उपरोक्त विषय पर श्री प्रीतम भ्याना, महासचिव, गांधी नगर सोशल वैलफेयर सोसायटी (रजि.) से प्राप्त पत्र क्रमांक SPL2 दिनांक 22.08.2014 को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। इस प्रार्थना पत्र में उन्होने अनुरोध किया है कि चौधरी मातूराम कम्यूनिटी सैन्टर, रोहतक में पडी पुरानी बिल्डिग को मुरम्मत करवाकर 1947 में हुए शहीदों की याद में धर्मधाला बनवाई जाये। उक्त कार्य को सोसायटी अपने खर्चे पर करने में सक्षम है। अतः मामला सदन में विचारार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई प्रस्तुत है।	रोहतक शहर में नगर निगम द्वारा निर्मित सभी सामुदायिक केन्द्रों की हालत, रख-रखाव व उनसे होने वाली आय के संबंध में रिपोर्ट अधीक्षक अभियंता द्वारा दिनांक 15.01.2015 तक दी जायेगी ताकि आगामी कार्रवाई की जा सकें। सभी सामुदायिक केन्द्रों के लिए संबंधित पार्षद की अध्यक्षता में प्रबंध समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया तथा इनसे प्राप्त आय नगर निगम में जमा होगी।

मेयर, नगर निगम, रोहतक द्वारा बैठक के दौरान दिये गये अतिरिक्त एजेण्डे

3	नगर निगम में जल्दी से जल्दी टेंडर प्रक्रिया द्वारा कम से कम 5000 स्ट्रीट लाईट् खरीदी जाए और सभी वार्डों में समान रुप से वितरित किए जाए।	एक हजार स्ट्रीट लाईट खरीद प्रक्रिया उपरांत रेट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये है। 10–15 दिन में स्ट्रीट लाईट उपलब्ध कर दी जायेगी।
4	नगर निगम में आऊट सोर्सिस पर (102) रखे गए कर्मचारी और सफाई कर्मचारीयों की संख्या तथा उनकी ड्यूटी का स्थान व उनके प्रमाण पत्रों की जॉच करवाई जाए और एक कॉपी संबंधित पार्षद को उपलब्ध करवाई जाए।	नगर निगम में आऊट सोर्सिस पर रखे गये कर्मचारियों व सफाई कर्मचारियों बारे जॉच वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा की जा रही है। वे अपनी जॉच रिपोर्ट 02.01.2015 तक प्रस्तुत करे ताकि आगामी कार्रवाई की जा सकें।
5	पूरे शहर में लगने वाले आवश्यकता अनुसार स्पीड ब्रेकर लगवाने का कार्य S.D.M. की बजाए निगम के किसी अधिकारी को सौंपा जाए। जैसे J.E., XEN II	कार्यकारी अभियंता–। व कार्यकारी अभियंता–।। द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों एवं वास्तविक जरूरत अनुसार स्पीड़ ब्रेकरों की आवश्यकता सम्बन्धित पार्षद के संज्ञान उपरांत विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 10.01.2015 तक प्रस्तुत की जायेंगी। स्पीड़ ब्रेकर सम्बन्धित पार्षद के संज्ञान /सूचना उपरांत लगाया जायेंगे।
6	1. नगर निगम के वार्ड नं0 16 में तीन पार्क है। एक सूगर मील कोलीनी मेंऔर एक जनता कालोनी मेंहै। इन पार्को को तुरंत प्रभाव से होट्रिकल्चर डिपार्टमेंट को दिए जाए ताकि इनका सौंदर्यकरण करवाया जाए। 2. सर्कयूलर रोड पर हरियाणा स्टेट वेयर का गोदाम है उसको किसी दूसरी जगह शिफ्ट करवाकर वहॉ जनहित के लिए एक पार्क बनवाया जाए।	वार्ड नं0 16 में आर्य नगर, शिवम एनकलेव, पार्क व वार्ड नं0 17 जनता कालोनी के 3 पार्क बागवानी विभाग को रख–रखाव के लिए देने का निर्णय लिया गया। शमशान भूमि रोड़ की मरम्मत व बरसाती पानी निकालने का प्रबन्ध लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 15.01.2015 तक करवाया जाये। जनस्वाथ्य विभाग द्वारा सड़क काटने पर कार्यकारी अभियंता– ।,नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया जायेगें। नगर निगम की तकनीकी शाखा की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए सभी ठेकेदारों, वर्कस कमेटी, सभी पार्षदों व कार्यकारी अभियन्ताओं की बैठक का आयोजन करने का निर्णय लिया गया।

9	शहर में जितनी भी मांस मिट्टी की दुकानें हैं उन्हें जल्द से जल्द सरकार द्वारा चिन्हित जगह पर शिफट किया जाए, संबंधित अधिकारी द्वारा इस कार्य को करने में लापरवाही करने पर उसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाही की जाए।	नगर निगम द्वारा स्लाटर हाऊस निर्माण बारे सरकार द्वारा प्राप्त नवीन निर्देशोंनुसार विस्तृत रिपोर्ट 05.01.2015 तक रखी जाये।
13	महावीर पार्क में दिगम्बर जैन सोसाईटी द्वारा चलाई जा रही लाईब्रेरी के शिलान्यास पट पर सभी पार्षदों का नाम लिखवाना।	महावीर पार्क में दिगम्बर जैन सोसाईटी का स्मरण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। सोसाईटी के प्रतिनिधियों को बुलाकर व्यक्तिगत स्तर पर बुलाकर व्यक्तिगत स्तर पर उपायुक्त, रोहतक के समक्ष विचार–विमर्श किया जाये। इस मामले के दौरान स्ट्रीट लाईट खरीद मामला भी उठाया गया जिस पर निर्णय लिया गया कि हुड्डा विभाग को दी गई पुरानी लाईटे व पोल की कीमत देने के लिए लिखा जाये।

दिनांक 23.12.2014 को सदन की सामान्य बैठक में सदन द्वारा लिये गये निर्णय / कार्रवाई बारे रिपोर्ट:-

क्र.सं.	एजेण्डा	टिप्पणी
1.	(1) नगर निगम रोहतक के सभी वार्डो के अन्दर सफाई व्यवस्था दुरूस्त करने के लिए प्रत्येक वार्ड में एक-2 ट्रैक्टर ट्राली चार सफाई कर्मचारी व ड्राईवर की व्यवस्था की जाए। (2) सभी वार्डो में सफाई कर्मचारियों की कमी है इसलिए इनकी संख्या बढ़ाई जाये। आमजन को सफाई के लिए जागरूक करने के लिए जगह-2 दीवारों पर होर्डिंग व मोटे अक्षरों में "अपना रोहतक, स्वच्छ रोहतक" लिखवाया जाए।	(1) सदन को बताया गया कि सफाई व्यवस्था दुरूस्त करने के लिए ड्राईवर सहित ट्रैक्टर किराये पर लेने के लिए निविदाऐं आमंत्रित की जा चुकी है। विचार विमर्श उपरांत ट्रैक्टर ड्राईवर व 4 सफाई कर्मचारियों सहित किराये पर लेने का निर्णय लिया गया। (2) सरकार से 765 सफाई कर्मचारी लगाने की स्वीकृति अनुसार इन्हे लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। **(मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
2.	(1) शहर के जिन पार्को में सुलभ-शौचालय नही है वहा सुलभ-शौचालय बनवाये जाए। (2) भीड़ वाली मार्किट बाजार तथा तंग बस्तियों में "चल शौचालय" (मोबाईल शौचालय) की व्यवस्था की जाए।	शुलभ शौचालय बनाने का निर्णय फण्ड पोजिशन सुधार उपरांत किया जायेगा। तब तक 2 सुलभ शौचायलय सलारा मौहल्ला तथा 2 किला मौहल्ला में प्राथमिकता के आधार पर बनाने का निर्णय लिया गया। **(अधीक्षक अभियंता द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
3.	वार्ड नं0 13 में नगर निगम की 3300 वर्गगज जगह खाली है जल्द ही उसमें वार्ड वासियों की सुविधा के लिए एक पार्क, डिस्पेन्सरी व सिलाई केन्द्र तथा एक आगनवाड़ी केन्द्र बनवाने की व्यवस्था की जाऐ।	वार्ड नं0 13 में नगर निगम की 3300 वर्गगज जगह के अतिरिक्त 1200 वर्गगज जमीन स्कूल व आँगनवाडी के लिए उपलब्ध है जो कि टी0पी0 स्कीम के तहत गिफ्ट डीड द्वारा प्राप्त हुई थी। इन जमीनों का मौका देखकर मलकियेत जॉच उपरांत उचित कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। **(भू-अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है)**

4.	(1) वार्ड नं0 14 में सर छोटूराम की प्रतिमा का सौन्दर्यकरण व उसके सामने (राऊड फुट) पर पत्थर व रिफलैक्टर लगवाये जाये। (2) लाला लाजपतराये चौंक पर आदरणीय नेता लाला लाजपतराय की खंडित प्रतिमा को बदला जाऐ।	वार्ड नं0 14 में सर छोटूराम की प्रतिमा व लाला लाजपतराये चौंक पर खंडित प्रतिमाओं के तुरंत सोन्दर्यकरण एवं मरम्मत के लिए अधीक्षक अभियंता को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिये गयें। **(अधीक्षक अभियंता द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
5.	नगर निगम के वरिष्ठ उप-मेयर व उप-मेयर को शहर में लोगो के सार्वजनिक कार्यो के लिए विभिन्न जगहों पर जाना पड़ता है इसलिए उनके लिए भी गाड़ी का प्रबंध करवाने के लिए सरकार को पत्र लिखा जायें।	सरकार के निर्देशानुसार वाहन सुविधा केवल मेयर महोद्‌य को दी जाती है। बैठक के समय सूचित कर दिया गया। सरकार को इस सन्दर्भ में सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव बारे पत्र लिखा जायें। **(कार्यालय अधीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
6.	(1) वार्ड नं0 7 में एस0सी0 चौपाल, अठगामा भवन, ब्राहमण चौपाल और धानक चौपाल का निर्माण करवाया जाये। (2)एस0सी0 शमशानघाट की की बाउन्डरी वांल व अर्थ फिलिंग की रिपेयरिंग की जाये।	इस बारे अधीक्षक अभियंता चौपाल की वर्तमान स्थिति बारे रिपोर्ट दिनांक 05.01.2015 तक प्रस्तुत करेगें। **(अधीक्षक अभियंता द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
7.	(1) वार्ड नं0 16 में ड्रैन नं0 8 में एक डिस्पोजल नाले की सफाई करवाई जाये व ऊपर ढका जायें। (2) भिवानी रोड़ से रेलवे फाटक तक एच0एस0आई0डी0सी0 वाले रोड़ पर पोल लगवाकर लाईट लगवाई जाये। (3) नगर निगम के व्यवसायिक केन्द्र (दुकानों) के बारे में भू-अधिकारी ने जो स्वरूप बदलने बारे में नोटिस दिया था उसका उत्तर क्या रहा तथा उसकी कार्रवाई रिपोर्ट दी जाये।	(1) अधीक्षक अभियंता द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग व एच0एस0आई0डी0सी0 विभाग से मामला आगामी कार्रवाई हेतु लिखा जायेगा। (2) एच0वी0पी0एन0 इस बारे उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया। **(अधीक्षक अभियंता द्वारा कार्रवाई की जानी है)** (3) भू-अधिकारी को सख्त कार्रवाई करने व की गई कार्रवाई बारे सूचित करने के निर्देश दिये गयें। **(भू-अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
8.	भिवानी रोड़ पर पालिका कालोनी में कुछ व्यक्तियों ने रेती-रोड़ी डालकर जगह को कब्जा रखा है उसे जल्द से जल्द हटवाया जाये ताकि राहगीरों को परेशानी न हो।	पालिका कालोनी से कब्जा हटाने के लिए तुरंत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। नेहरू कालोनी में उपलब्ध जमीन की गई गिरदावरी तुरंत करवाई जाये तथा रिपोर्ट आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। **(भू-अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
9.	(1) शहर की बाहरी कालोनी में जहा हाई टेंशन वायर लगी हुई है जिससे कं बारे लोगो की मृत्यु भी हुई है इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इन वायर को यहा से बदलवाया जायें। (2) सभी पार्षदों ने स्पीड ब्रेकर लगवाने का निवेदन कई बार किया है जो कि अभी तक नही लगे है इन्हे जल्दी से जल्दी लगवाया जाये।	बाहरी कालोनियों की हाई टैन्शन तार हटवाने के लिए एच0वी0पी0एन0 को लिखा जाये तथा एच0वी0पी0एन0 से प्राप्त अनुमान की उप-मेयर श्री अशोक भाटी द्वारा जॉच व अनुमोदन करवाने का निर्णय लिया। **(अधीक्षक अभियंता द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
10.	(1) वार्ड नं0 20 में नगर निगम की जगह में गरीब लोगों को 100-100 गज	(1) सुनारियां कला व सुनारियां खुर्द में 100-100 गज के प्लाटों

	के प्लाट काटकर दिये जायें। (2) पूरे वार्ड में लगभग 25-30 खम्बे लगवाये जायें।	बारे सरकार के निर्देशानुसार उचित कार्रवाई के निर्देश दिये गये। (2) हरियाणा विधुत प्रशासन निगम को वार्ड पार्षद से सम्पर्क उपरांत उचित कार्रवाई करने के लिए लिखने का निर्णय लिया गया। **(अधीक्षक अभियंता द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
	(3) सुनारियां में एक चौकीदार की मृत्यु हो चुकी है उसके पद पर उसकी के लड़के को लगाया जाये ताकि उसके गरीब परिवार को सहारा मिल सकें।	(3) सुनारियां गॉव के चौकीदार की मृत्यु उपरांत नौकरी के लिए कोई भी आवेदन प्राप्त नही हुआ है। आवेदन प्राप्त उपरांत सरकार की हिदायतों अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। **(कार्यालय अधीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
	(4) एक अनियमित कालोनी (रत्नपूरी) को नियमित करवाने के लिए बैठक की स्वीकृति दी जायें।	(4) रत्नपुरी कालोनी में किये गये कब्जों की पूर्ण जानकारी उपरांत विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 05.01.2015 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गयें। **(भू-अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
11.	नगर निगम रोहतक के सभी पार्षदों के लिए एक टूर प्रोग्रम का आयोजन जल्द ही किया जाये जो कि यह प्रस्ताव नगर निगम, रोहतक की सामान्य बैठक में पास हो चुका है।	पार्षदों के लिए मेयर महोद्रय को भ्रमण स्थान या किसी अच्छी नगर निगम बारे सूचित करने उपरांत आगामी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। **(कार्यालय अधीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
बैठक के दौरान अध्यक्ष महोद्रया की स्वीकृति उपरांत अतिरिक्त एजेण्डे:-		
1.	प्रधान नगरपालिका कर्मचारी संघ, रोहतक ईकाई द्वारा मेयर महोद्र्या के माध्यम से नगर निगम, रोहतक में लगे कच्चे कर्मचारियों को रैस्ट देने बारे मांग पत्र प्राप्त है जिसे सदन में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।	विचार-विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि कर्मचारी संघ की मांग को मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा अध्ययन उपरांत नियमानुसार प्रस्तावना आगामी कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। **(मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
2.	सुनारियां कला में गली का नाम शहीद बलजीत सिंह रखने बारें।	सुनारियां गॉव के पार्षद के अनुरोध पर गली का नाम शहीद बलजीत सिंह रखने की स्वीकृति दी गई। **(अधीक्षक अभियंता द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
3.	हिसार रोड़ पुल के पास स्थान का अतिक्रमण हटवाना एवं सोन्दर्यकरण हेतु।	कार्यकारी अभियंता ने बताया कि यह स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। अधीक्षक अभियंता को सम्बन्धित विभाग को लिखने के निर्देश दिये गये। **(अधीक्षक अभियंता द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
4.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में किये जाने वाले विकास कार्यो क्षेत्रीय पार्षद की सहमति एवं भागीदारी बारे।	वार्ड नं0 9 के पार्षद श्री बलराज ने बताया कि वार्ड नं0 9 व 6 में हुड्डा सैक्टरों में किये जाने वाले विकास कार्यो एवं Resident Welfare Association की बैठकों की सूचना व भागीदारी बारे पूर्व में प्रशासक हुड्डा दिये गये आश्वासन को लागू नही किया जा रहा है। इस बारे सम्पदा अधिकारी HUDA को स्थानीय पार्षद की

		भागीदारी एवं सूचना सुनिश्चित करने के लिए पुनः लिखने का निर्णय लिया गया। **(अधीक्षक अभियंता द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
5.	सभी वार्ड क्षेत्रों में कमजोर श्रेणी कालोनियां घोषित करवाने बारे।	सदन में प्रस्तुत वार्ड क्षेत्रों की कमजोर श्रेणी कालोनियों की सूची प्राप्त होने उपरांत इस कार्य के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिस पर आगामी कार्रवाई की जाये। **(सहायक नगर योजनाकर द्वारा कार्रवाई की जानी है)**

इसके उपरांत मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों व अधिकारियों का धन्यवाद करते हुये बैठक समाप्ति की घोषणा की।

दिनांक 23.12.2014

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/NT/2014/ 282-286 दिनांक 25/12/14

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
2. श्री शादीलाल बत्तरा, सासद राज्यसभा सदस्य।
3. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विधानसभा सदस्य, गढ़ी सॉपला किलोई।
4. श्री मनीष ग्रोवर, विधानसभा सदस्य, रोहतक।
5. श्रीमति शकुन्तला खटक, विधानसभा सदस्य, कलानौर।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/NT/2014/287-292 दिनांक 25/12/14

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. उपायुक्त, रोहतक।
4. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
5. सभी पार्षदगण, नगर निगम, रोहतक।
6. निजी सहायक आयुक्त, आयुक्त नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/NT/2014/ 293-295 दिनांक 25/12/14

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि अपने से सम्बन्धित कार्य को निश्चित समयावधि में करवाकर 15 दिनक के अन्दर-2 बिन्दुवार पालना रिपोर्ट नगर निगम, रोहतक के कार्यालय में भिजवाये ताकि सदन की आगामी बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकें।

1. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
2. सभी सम्बन्धित अधिकारी नगर निगम, रोहतक।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।